कार्यालयः— प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, सोरहत्था, वैशाली।

चतुर्थ चयन सूची से नामांकन संबंधी आवश्यक सूचना

सेवा पूर्व डी0एल0एड0 सत्र 2018—20 के निर्धारित 150 सीटों के विरुद्व चतुर्थ चयन सूची महाविद्यालय के वेबसाईट पर प्रकाशित कर दी गई है। नामांकन हेतु अभ्यर्थियों का चयन उनके नामांकन के पात्रता का द्योतक है, नामांकन की अनिवार्यता का नही । चयनित अभ्यर्थी दिनांक 10.07.2018 से 12.07.2018 तक कार्यालय के कार्य दिवसों में 11:00 AM से 03:00 PM तक निम्न अभिलेखों/दस्तावेजो के साथ महाविद्यालय में नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक नामांकन नही लेने की स्थिति में अभ्यर्थी का नामांकन दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थी के प्रिंट आवेदन पत्र के प्रविष्टियों का उनके मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन उपरांन्त ही उसी समय उन्हे पेमेंट लिंक उपलब्ध कराया जायेगा। अभ्यथी द्वारा निर्धारित नामांकन शुल्क महाविद्यालय के वेबसाईट पर ऑनलाईन भुगतान कर भुगतान रसीद कार्यालय में निर्धारित समय के अन्तर्गत जमा कराना होगा जिसके बाद ही उनके नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होगी।

चतुर्थ चयन सूची से नामांकन उपरांन्त स्थान रिक्त रहने पर प्रतीक्षक सूची (waiting list) से नामांकन दिनांक 13.07.2018 से लिया जाएगा।

नामांकन के समय निम्न मूल प्रमाण—पत्रों एवं शर्तो के साथ उपस्थित होंगें—

1. ऑनलाईन आवेदन प्रिंट की प्रति।
2. मैट्रिक परीक्षा पास करने का मूल प्रमाण—पत्र एवं अंक पत्र।
3. इंटर परीक्षा का मूल अंक एवं प्रमाण—पत्र।
4. आवासीय प्रमाण पत्र का मूल प्रति। (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो)
5. आरक्षित कोटि एवं विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति/विकलांगता प्रमाण—पत्र की मूल प्रति।
6. अंतिम शिक्षण संस्थान से निर्गत महाविद्यालय परित्याग प्रमाण—पत्र।
7. शिक्षण शुल्क के रुप मे सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंन्त पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी 11500/— (ग्यारह हजार पॉच सौ रुपये) एवं अनुसुचित जाति जन जाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थी 7000/—(सात हजार रुपये) शुल्क का भुगतान ऑनलाईन होगा।
8. सभी मूल प्रमाण—पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति का दो सेट, तीन पासपोर्ट साईज फोटो एवं सभी मूल प्रमाण—पत्र एवं अभिलेख दो फाईल फोल्डर मे जमा करेंगें।
9. सत्यापन के क्रम मे प्रमाण प्रत्रों मे फर्जी पाये जाने की स्थिति में नामांकन के दावे को रदद् करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।
10. अभ्यर्थी द्वारा नामांकन शुल्क के रुप में जमा की गयी राशि किसी भी स्थिति मे वापस नही की जाएगी।
11. उपर्युक्त सभी शर्तो को पूरा करने पर आपका नामांकन औपबंधिक रुप से किया जायेगा।
12. स्वास्थ्यता प्रमाण—पत्र (रजिस्टर्ड चिकित्सक के द्वारा)

नोटः— किसी प्रकार की जानकारी के लिए मो0 नं0—9934017544 पर संपर्क करें।

आदेशानुसार

प्राचार्य
प्राथमिक शिक्षक शिक्षाा महाविद्यालय
सोरहत्था, वैशाली।